

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-अनियमितता-199/2020-1370(मौ०) /पटना, दिनांक-01/07/2020
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:-नालन्दा जिलान्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत क्रियान्वित हो रही योजना के अनियमितता के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार का पत्रांक-805/आ०, दिनांक-29.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि नालन्दा जिलान्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ग्रामपंचायत-मेयार, प्रखण्ड-राजगीर, थाना-छबीलापुर में क्रियान्वित हो रही पर्ईन खुदाई के कार्य में अनियमितता की शिकायत की गयी है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा आरोप की जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित योजना का स्थल निरीक्षण कर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए आवेदनकर्ता एवं विभाग को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1370(मौ०)

/पटना, दिनांक-01/07/2020

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1370(मौ०)

/पटना, दिनांक-01/07/2020

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1370(मौ०)

/पटना, दिनांक-01/7/2020

प्रतिलिपि- श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

01/7/20

श्रवण कुमार
श्रवण कुमार



मंत्रि
ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग
बिहार सरकार

पत्रांक... 805/अक

ग्रा.सं. प्र.सं. 333

मंत्रि कोषांग

लघु जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

गै.सं. प्र.सं. 555

दिनांक... 08-06-2020

दिनांक... 29/05/2020

माननीय मंत्रि जी,
बिहार, पटना

11 JUN 2020

आवेदक द्वारा मेयार ग्राम पईन खुदाई में हो रही अनियमितता की शिकायत की (इस सचिकायी है)।

श्री अजय पासवान एवं अन्य, ग्राम- मेयार, पंचायत- मेयार, प्रखंड- राजगीर, थाना- छबीलापुर, जिला-नालंदा का आवेदन संलग्न है।
संलग्न आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में जांच कराकर जनहित में समुचित कार्रवाई का आदेश देना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

अनुलग्नक- यथोक्त।

सेवा में,

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,
माननीय मंत्री,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार।

भवदीय

(श्रवण कुमार)

2447/अक
14/6/20

जस
12-06-2020

रवि
27/6
12/6

2691 (आ)
15/6/20

प्रधान सचिव

मा. मंत्रि जी को प्रपत्र के
आलोचक में शिकायत पत्र
अथवा आवेदन के जांच
की गई थी।
5-6-2020
(नरेन्द्र नारायण यादव)

कार्यालय - मुख्य सचिवालय, पटना-800015, आवास : १२ए, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष/फैक्स : 0612-2205331 (का०), 2217678 (वि०संका०), 2215472 (आ०), मोबाईल : 9471006315

ई-मेल : sharwankumarmila@gmail.com

सेवा में

ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य विभाग
मैत्री बिहार सरकार

विषय :- हरियाली योजना के अन्तर्गत पर्दन खुदाई
में गड़बड़ी होने के सम्बंध में

महाशय,

शुविनय निवेदन यह है कि मैं ग्राम-
मैथार पंचायत मैथार प्रखण्ड- राजगीर
थाना- छबिलापुर जिला- नालन्दा का निवासी
हूँ मेरा गाँव में पर्दन खुदाई का कार्य हो रहा
है जिसमें अलग या पुराना मैद को छाँटकर
खुदाई जमीन का चारफुट दिखला रहा है जबकि
सरजमीन दो फीट ही खुदाई किया जा रहा है;
जिसका उदाहरण मिट्टी ही है अगर ठिकेदार
कहता है कि मैं चारफुट मिट्टी का जापी दे
रहा हूँ तो आखिर मिट्टी जाया किधर, गवाह
पर्दन खुदाई है।

आतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस
पर्दन खुदाई का अपना स्तर से जाँचकर
परम् भश के भागी बनें

आपका विश्वासी ग्रामीण
जनता

अजय पासवान
जबदीश पासवान

पं माकर साव

डीमन पासवान



मनिचन्द हरविदास

L.T.I



L.T.I - रघुमन्हन पीडीन



अशोक राम

L.T.I

अजयदा पासवाण

राजीव कुमार

Shiv Prasad 7295 88 208

ORIEAL

राज नकुल

सेवामें,

७

श्रीमान् लक्ष्मण लिचार्ड मंत्री बिहार सरकार

विषय:- हरियाली योजना के अन्तर्गत पर्दन खुदाई में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में

महाशय,

सखिनय निवेदन यह है कि मैं ग्राम-
मैथार पैचायत मैथार प्रखण्ड- राजगीर
थाना- छबिलापुर जिला-नालन्दा का निवासी
हूँ मेरा गाँव में पर्दन खुदाई का कार्य हो रहा
है जिसमें अलगे या पुराना मैद को छाँटकर
खुदाई जमीन का चार (4") फीट दिखला रहा
है जबकि सरजमीन दो फीट ही खुदाई किया
जा रहा है, जिसका उदाहरण मिट्टी ही है
अगर ठिकेदार कहता कि मैं चार (4") फीट
मिट्टी का नापी दे रहा हूँ तो आखिर मिट्टी
जाया किधर, जवाह पर्दन खुदाई है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस
पर्दन खुदाई का अपना स्तर से जाँच
कर परम यश के भागी बनै।

आपका विश्वासी
जनता
अजय पासवान
प्रवीण सिंह